168

संख्या– 27 /XXVIII–5–2013–02/2002

प्रेषक,

अतर सिंह
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 15 मार्च, 2013

विषयः **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौण्ड, लम्बगांव, जनपद टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–571/XXVIII-4-2006–02/2002 दिनांक 31.08.2006 के क्रम में एवं आपके पत्रांक–7प/1/पी0एच0सी0/13/2005/42089 दिनांक 24.12.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौण्ड लम्बगांव, जनपद टिहरी गढ़वाल के मुख्य भवन निर्माण के अवशेष कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु गठित प्राक्कलन ₹57.74 लाख में बाउण्ड्रीवाल का कार्य छोड़ते हुए शेष के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹41.37 लाख (सिविल कार्यों हेतु ₹36.97 लाख व अधिप्राप्ति के कार्यों हेतु ₹4.40 लाख) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में सम्पूर्ण धनशशि ₹41.37 लाख (रूपये इक्तालिस लाख सैंतीस हजार मात्र) अवमुक्त करते हुए, निम्न शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. आगणन में अधिपाप्ति सम्बन्धी ₹4.40 लाख के कार्यो को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार किया जायेगा।
2. मूल प्राक्कलन में मुख्य भवन से अतिरिक्त अन्य सभी अवशेष कार्यो को चरणबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु वर्तमान दरों पर पुनरीक्षित प्राक्कलन गठित कर उपलब्ध कराया जायेगा।
3. उक्त धनराशि आहरित कर, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नई टिहरी को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुये वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19.06.2012 में इंगित निर्देशों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।
7. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

9. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30.03.2012 एवं शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में इंगित निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

10. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय ।

11. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के शा0सं0–2047/XiV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

12. कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.08 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

13. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2012–13 के अनुदान सं0–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 104–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, 0302–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 00–आयोजनागत, 24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–260(पी)/XXVII(3)/2012–13, दिनांक 14 मार्च, 2013 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक– आनॅलाईन आवंटन की प्रति

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या– 27(1)/XXVIII–5–2013–02/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ऑबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
4– अपर सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
5– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नई टिहरी
7– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
9– मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव